(2008) 5 एस.सी.आर. 1240

श्री रामेश्वर प्रसाद (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

बसंतीलाल

(सिविल अपील नंबर-644/2002)

अप्रैल 07, 2008

[डाॅ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963- धारा 16 (ग) सपठित स्पष्टीकरण (ii)- विक्रय करार की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा - दावे में इस आशय का विशिष्ट कथन कि वादी विक्रय अनुबंध की अनुबंध शर्तों का पालन करने के लिए सदैव तैयार और तत्पर था- करार की शर्तों में से एक शर्त ब्याज की अदायगी- दावा विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया- यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि वादी ने न तो इस आशय का अभिवचन किया है, न ही वह साबित कर पाया कि वह सदैव ब्याज अदायगी हेतु तैयार व तत्पर रहा और वह संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री हेतु आधारभूत तथ्यों को प्रमाणित नहीं कर पाया- चुनौती दी गयी- अवधारित-उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि दावे में किये गये श्रेणीवार अभिकथनों को देखते हुए दावे में ब्याज की अदायगी हेतु

तैयार होने संबंधी कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं होना वास्तविक स्थिति के विपरीत पाया गया- उच्च न्यायालय ने यह गलत अवधारित किया कि दावे में ब्याज अदायगी की तैयारी व तत्परता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालना (विक्रय करार) हेतु दावा डिक्री किया गया। प्रतिवादी की ओर से की गयी प्रथम अपील स्वीकार की गयी। आदेश के विरूद्ध पक्षकारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष परस्पर अपील दाखिल की गयी। उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि वादी ने न तो ब्याज अदायगी के लिए सदैव तैयार व तत्परता संबंधी अभिवचन किये हैं, न ही ऐसा साबित किया गया है और वह संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री हेतु आधारभूत तत्वों को प्रमाणित नहीं कर पाया है। उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस एक आधार पर ही वादी की ओर से दाखिल की गयी अपील को खारिज कर दिया, पक्षकारों द्वारा उठाये गये अन्य बिंदुओं को विचार में नहीं लिया गया। जिसके आधार पर वर्तमान अपील हुयी है। न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण करते हुए अवधारित किया गया है कि:-

(1)- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (ग) सपठित स्पष्टीकरण (ii) के पीछे मूलभूत सिद्धांत यह है कि- कोई भी व्यक्ति जो संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का लाभ लेना चाहता है उसे यह प्रकट करना होगा कि उसका आचरण विनिर्दिष्ट अनुतोष के हकदार के रूप में बेदाग रहा है। प्रावधान व्यक्तिगत अवरोध उत्पन्न करते हैं। न्यायालय

अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के आचरण के आधार पर अनुतोष देता है। यदि वादपत्र के अवलोकन पर अभिवचन यह प्रकट करते हैं कि वादी का आचरण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसे अनुतोष देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 16(ग) यह आवश्यक बनाती है कि वादी अपने दावे में दृढतापूर्वक व अन्य साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित करे कि वह हमेशा संविदा के अपने हिस्से के भाग का पालन करने के लिए तत्पर व इच्छुक रहा है। [पैरा-8, 9] [1245-डी-जी]

सूर्यनारायण उपाध्याय बनाम रामरूप पाण्डे एवं अन्य एआईआर (1994) एससी 105 और सुगनी बनाम रामेश्वर दास एवं अन्य (2006) 11 एससीसी 587- पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

2.1- जहाँ कोई विशिष्ट कथन हो कि वादी विक्रय करार की शर्तों की पालना करने के लिए इच्छुक था, जो कि लागू थी और वादी लागू होने वाली विक्रय करार की शर्तों की पालना करने के लिए पहले से ही इच्छुक था, करार की शर्तों में से एक शर्त ब्याज की राशि की अदायगी है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय कि ब्याज अदायगी की तत्परता संबंधी कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं है, वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल है, जो कि दावे के क्रमबद्ध अभिकथनों को देखने से लगता है। [पैरा-7] [1244-जी-एच; 1245-ए]

2.2- उच्च न्यायालय का विनिश्चय/निष्कर्ष साफ तौर पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। उच्च न्यायालय द्वारा यह गलत

अवधारित किया गया कि ब्याज की अदायगी की तत्परता व इच्छा संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, जब कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विवाद्यक निर्णीत नहीं किये गये हैं, मामला उसे विधि अनुसार पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। [पैरा-11] [1245-एच; 1246-ए-बी]

एलपीए नंबर-16/1993 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22.09.2000

विनोद बोबडे, प्रवीण गौतम, श्याम मुदालियर, नितिन शेटिया और प्रमोद बी.अग्रवाल- अपीलार्थी की ओर से।

उदय यू ललित, अजय चौधरी- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस डाॅ० अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया।

1- इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर पीठ द्वारा एलपीए नंबर-16/1993 में खारिज किये गये आदेश को अपीलार्थी रामेश्वर प्रसाद द्वारा चुनौती दी गयी। इस अपील में रामेश्वर प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा पैरवी की गयी। आक्षेपित निर्णय द्वारा जिन दो एलपीए यथा- एलपीए संख्या-16, 19/1993 का निस्तारण किया गया था, उनमें से एलपीए संख्या-16/1993 रामेश्वर प्रसाद द्वारा दाखिल की गयी थी, जब कि अन्य एलपीए वर्तमान प्रत्यर्थी बसंतीलाल द्वारा दाखिल की गयी थी। रामेश्वर प्रसाद द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा दाखिल किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का अनुतोष प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी बसंतीलाल द्वारा प्रथम अपील संख्या-45/1976 दाखिल की गयी। अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निम्नलिखित शर्तों पर अपास्त किया गया-

क)- कि अपीलार्थी प्रदर्श पी-3 में की गयी सहमति अनुसार आज से एक माह के भीतर प्रत्यर्थी को तीन हजार रूपये विचारण न्यायालय में अदा करेगा अथवा जमा कर लौटा देगा।

ख)- प्रत्यर्थी उक्त राशि अदा होने पर अथवा जमा होने पर धारा 65 संविदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदर्श पी-3 में उल्लेखित संपत्ति का कब्जा आगामी पंद्रह दिवस में अपीलार्थी को सौंप देगा।

ग)- अपीलार्थी एक माह की अवधि के पश्चात् राशि अदा करता है अथवा जमा करता है तो व्यतिक्रम की तिथि से पालन की तिथि तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाने का उत्तरदायी होगा।

घ)- विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 12 के अनुसार अभिनिर्धारित अंतवर्ती लाभ को अदा करने हेतु प्रत्यर्थी उत्तरदायी होगा और उपरोक्त रूप से निर्देशित अनुसार व्यतिक्रम दिनांक से कब्जा सौंपने तक 15 दिवस के भीतर कब्जा सौंपने में विफल रहने पर अंतिम डिक्री की तरह उक्त निर्देशों की अनुपालना में आदेशित किया जायेगा। खडी फसलों के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। लम्बी अवधि के भाेग अधिकार के उपभोग को देखते हुए और ऐसा कब्जा खडी फसल के साथ ही प्रदत्त किया जावेगा, यदि ऐसा अस्तित्व में है।

ड)- पक्षकारों द्वारा इस अपील में किया गया खर्चा स्वयं वहन किया जायेगा, पैरवी खर्चा प्रत्येक पक्ष का प्रमाण पत्र के अधीन 1500/-रूपये होगा।

2- रामेश्वरप्रसाद व बसंतीलाल दोनों द्वारा खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रश्नगत निर्णय द्वारा जहाँ तक रामेश्वर द्वारा दाखिल की गयी अपील का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि वादी न तो ब्याज अदा करने हेतु हमेशा तैयार व तत्पर होने संबंधी अभिवचन कर पाया न ही वह साबित कर पाया। ब्याज के संबंध में कथित छूट को प्रमाणित करने में असफल रहने पर, जैसा कि दावा किया

गया था, डिविजन बैंक ने अवधारित किया गया वादी संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के आधारभूत तथ्यों को प्रमाणित नहीं कर पाया, केवल मात्र इस आधार पर अपील खारिज की गयी और अन्य उठाये गये बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया।

3- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा क्रमबद्ध रूप से नोट किया गया कि प्रतिवादी को भेजा गया नोटिस जैसा कि दावे के पैरा संख्या-13 में वर्णित है, क्रमबद्ध रूप से अंकित था कि वह करार की समस्त शर्तों की पालना हेतु विवश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह गलत रूप से इस कथन को निर्वचित किया गया तथा यह गलत निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त कथन का यह निर्वचन नहीं निकाला जा सकता कि वादी ब्याज की राशि संदत्त करने हेतु तत्पर था, विशेषकर प्रतिवादी के रखे गये पक्ष को देखते हुए। यह दर्शित किया गया कि पैराग्राफ-13 में अंकित है कि वादी हमेशा संविदा के अपने भाग की अनुपालना करने हेतु तैयार व तत्पर रहा है।

4- यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष ब्याज की अदायगी के विलम्ब का प्रश्न कभी भी नहीं उठाया गया।

5- प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 4500/-रूपये की अदायगी के दावे का विवाद था और अगर अदायगी में विलम्ब होता है तो ब्याज देय था। वादी द्वारा बिल्कुल आधारहीन तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी की ओर से अदायगी की गयी है।

6- दिनांक 13.09.1963 के करार में निम्नलिखित खण्ड समाहित हैं, जो महत्वपूर्ण हैंः-

"किस्तों की अदायगी तक 5000/- रूपये पर 0.75 पैसे प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देय होगा, जो ब्याज दिनांक 13.09.1963 से देय होगा।"

निम्नलिखित कथन दावे के उद्धृत किया जाना आवश्यक है-

> "वादी संविदा के अपने भाग की अनुपालना में विक्रय विलेख निष्पादन हेतु सदैव तैयार व तत्पर रहा है और आज भी तैयार व तत्पर है। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता श्री यू.एन. बाछावत के माध्यम से प्रतिवादी को अपने नोटिस के जवाब दिनांकित 07.10.1968 में यह सूचित किया गया कि वह विक्रय प्रतिफल की शेष राशि 500/-रूपये अदा करने हेतु तैयार व तत्पर है और विक्रय करार की उसके भाग की शर्तों की अनुपालना करने हेतु सदैव तैयार व तत्पर रहा है। प्रतिवादी को विक्रय विलेख निष्पादन करना चाहिए व वादी से 500/-रूपये प्राप्त कर विक्रय विलेख रजिस्टर्ड करवाना चाहिए।"

7- वादी का इस संबंध में विशिष्ट कथन है कि वह हमेशा से उसे लागू होने वाली विक्रय करार की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार व तत्पर रहा है, जिसमें ब्याज की अदायगी की शर्त भी एक शर्त थी, इसलिए दावे में किये गये क्रमबद्ध कथनों को देखते हुए उच्च न्यायालय का यह

निष्कर्ष वास्तविक स्थिति से विपरीत है कि दावे में ब्याज की राशि की अदायगी के संबंध में तैयार होने संबंधी विशिष्ट कथन नहीं थे।

8- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 16 (ग) में यह प्रावधान है कि;-

(क).....

ख).....

(ग) जो यह साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबंधनों का, जो उसके द्वारा पालन किये जाने है, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार व रजामंद रहा है।

धारा 16(ग) सपठित स्पष्टीकरण (II) के पीछे मूलभूत सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का लाभ लेना चाहता है उसे दर्शित करना होगा कि उसका आचरण विनिर्दिष्ट अनुतोष के हकदार के रूप में बेदाग रहा है। प्रावधान व्यक्तिगत निर्बंधन डालते हैं। न्यायालय को अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के आचरण के आधार पर अनुतोष देना चाहिए। यदि वादपत्र का अवलोकन करने से अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि वादी का आचरण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, तो उसे अनुतोष देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

9- अधिनियम की धारा 16(ग) यह आवश्यक बनाता है कि वादी अपने दावे में दृढतापूर्वक व अन्य साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित करे कि वह हमेशा संविदा के अपने हिस्से के भाग का पालन करने के लिए तैयार व तत्पर रहा है। संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियाेंं को विचार में लेते हुए इस न्यायालय द्वारा सूर्यनारायण उपाध्याय बनाम रामरूप पाण्डे और अन्य (एआईआर 1994 एससी 105) में यह अवधारित किया है कि वादी द्वारा अपने अभिकथनों की पुष्टि की गयी है।

10- यही मत सुगनी बनाम रामेश्वरदास एवं अन्य (2006 (11) एससीसी 587) में दर्शित किया गया है।

11- उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साफ तौर पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। उच्च न्यायालय यह अवधारित करने में गलत रहा है कि ब्याज की अदायगी की तत्परता व इच्छा के संबंध में कोई संकेत नहीं थे, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विवाद्यकों का निर्धारण नहीं किया गया है। हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा विधि अनुसार पुनः सुनवाई हेतु मामला प्रतिप्रेषित करते हैं। आक्षेपित निष्कर्ष इस निर्णय के माध्यम से अपास्त माने जावे।

12- जैसा कि मामला लम्बे समय से लम्बित है अतः उच्च न्यायालय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मामला निस्तारित करे, अधिमानतः अगस्त 2008 के अंत तक।

13- अपील उक्त आदेशानुसार बिना खर्चे आदेश के निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा॰ लेखपाल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।